भारतीय विधायिका में गिलोटिन

संसद में गतिरोध के कारण सरकार अनुदान मांगों को **गिलोटिन** कर सकती है और बिना किसी चर्चा के **वित्त विधेयक** पारित कर सकती है।

- **कानूनी शब्दावली में "गिलोटिन"** शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है इस बारे में इसने अनिश्चितता और संदेह की स्थिति उत्पन्न की है।

गिलोटिन

- **गिलोटिन** शब्द मूल: **सिर काटकर मृत्युदंड** देने हेतु डिज़ाइन किये गए उपकरण को संदर्भित करता है।
    - यह फ्राँसीसी क्रांति **के दौरान फ्राँस में मृत्युदंड** को अधिक विश्वसनीय और कम दर्दनाक बनाने के लिये पेश किया गया था।
- विधायी बोलचाल में **गिलोटिन का अर्थ है एक साथ समूह बनाना** और वित्तीय विधेयक को पारित करने में तेज़ी लाना। **बजट सत्र** के दौरान **लोकसभा में यह काफी सामान्य प्रक्रिया है।**
    - एक बार गिलोटिन लागू हो जाने के बाद **अनुदान की शेष मांगों को बिना किसी चर्चा के मतदान के लिये रखा जाता है।**
    - यह सुनिश्चित करता है कि **आवंटित समय के भीतर** बजट **पारित हो जाए** और सरकार बिना किसी देरी के अपना काम जारी रख सके।

गिलोटिन संसदीय प्रक्रिया:

- बजट पेश किये जाने के बाद संसद में लगभग तीन सप्ताह का अवकाश रहता है, इस दौरान सदन की **स्थायी समितियाँ** विभिन्न मंत्रालयों के लिये **अनुदान की मांगों** पर विचार करती हैं एवं रिपोर्ट तैयार करती हैं।
    - संसद की बैठक दोबारा शुरू होने के बाद **कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee- BAC)** अनुदान मांगों पर चर्चा के लिये एक कार्यक्रम तैयार करती है।
- कभी-कभी समय की कमी को देखते हुए सदन सभी मंत्रालयों की व्यय मांगों पर विचार नहीं कर पाती है; इसलिये कार्य मंत्रणा समिति चर्चा के लिये कुछ महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों की पहचान करती है; आमतौर पर **गृह, रक्षा, विदेश मंत्रालय, कृषि, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास मंत्रालय।**
- सदन में वाद-विवाद समाप्त हो जाने के बाद **लोकसभा** अध्यक्ष **"गिलोटिन" लागू करता है, और समय बचाने के लिये अनुदान संबंधी सभी लंबित मांगों (जिन पर चर्चा हुई हो या नहीं हुई हो) तथा विधेयक/संकल्प के अविचारित खंडों पर एक ही बार में मतदान किया जाता है।**

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/guillotine-in-indian-legislative